



बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 12नि०/प०ग० (पशु क्रूरता) 05/2019

दिनांक - .....

प्रेषक,

विनोद सिंह गुंजियाल, भा०प्र०से०  
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी-सह-  
सचिव, जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार।

विषय:-

बिहार राज्य में Prevention of cruelty to Draught and pack animals Rules 1965 के नियम-8 के अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग:- (i)

भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड का पत्रांक-9-5/2014-15/PCA दिनांक-01.07.2014.

(ii)

डॉ० मणिलाल वलियाते, CEO, PETA India का ई. मेल, दिनांक-07.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में उल्लेख करना है कि Prevention of cruelty to Draught and pack animals Rules 1965 के नियम-8 के प्रावधानों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति किसी वाहन को चलाने या उसकी सवारी करने या वाहन को खिंचवाने के लिए या अन्यथा उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से किसी नुकीली छड़ी या बिट, कील नॉब या उभारयुक्त हारनेस/योक या अन्य कोई उपकरण जो जानवरों के लिये चोट, सूजन, खरोंच या दर्द का कारण बनता है या बनना संभावित है का उपयोग नहीं करेगा।

अतः अनुरोध है कि आप अपने जिले में स्पाईकड/कांटेदार बिट की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-12/नि०प०ग० (पशु क्रूरता) 05/2019 ..... 25.9.19 (14/09) पटना-15, दिनांक-..... 14/09...../2020

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी पुलिस अधीक्षक-सह-उपाध्यक्ष जिला पशुक्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड एन०आई०ए०डब्लू०कैम्पस, 42 माईल स्टोन, दिल्ली-आगरा हाईवे एन०एच०-2, वल्लभगढ़ हरियाणा-121004.

प्रतिलिपि- डॉ० मणिलाल वलियाते, सी०ई०ओ० PETA INDIA, क्लासिक हाउस-14, डॉक्टर लेन, पोल मार्केट, नई दिल्ली-110001, ई.मेल-manilalv@petaindia.org.

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।